चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता / 271
दिनांक 20.4.2017

सेवा में,
सचिव,
वैष्णो इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी,
मेरठ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 10.04.2017 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आपने संस्थान में संचालित **बी0एड0** पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख अंकित पदों पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N. Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1- Dr. Mohd. javed	Principal	M.Ed. Ph.D. (Edu. 16) (9 Years Experince)	Prof. M. K. Gupta CCS University, Meerut Prof. S.K. Sharma CCS University, Meerut Dr. Nand Kumar SSS Rasna
2- Satya pal Sharma	Lecturere	M.Sc. M.Ed.	Dr. Love Lata Sindhu Meerut College, Meerut Dr. Poonam Pandey CSSC College, Machhara, Meerut
3- Ruchi Sharma	Lecturere	M.A. M.Ed.	------- do ------
4- Razeena	Lecturere	M.Sc. M.A. (Edu.)	------- do ------
5- Shuchi Swarup	Lecturere	M.A. (Eng.) M.A. (Edu.)	------- do ------
6-Vishnu Kumar	Lecturere	M.A (Eco). M.Ed.	------- do ------
7- Gatha Sharma	Lecturere	M.Sc. (math) M.Ed.	------- do ------
8- Pramod Kumar	Lecturere	M.A., M.A (Edu.)	------- do ------
9- Nisha Narang	Lecturere	M.A. (Pol.) M.Ed.	------- do ------
10- Shamsad Ali	Lecturere	M.A.(Hindi) M.A (Edu.)	------- do ------
11- Ruchika Singh	Lecturere	M.A (Music)	Dr. Ragini Pratap KML college, Meerut Dr. Jaya Sharma AKP College, Hapur
12- Ravindra Kumar	Lecturere	B.P.Ed. M.P.Ed.	Dr. Virendra Kumar Meerut College, Meerut Dr. S.S. Suri M.M. College, Modinagar
13- Nitin Kr. Sharma	Lecturere	M.A. (Fine Arts)	Dr. Deepshikha NAS College, Meerut Dr. Usha Kiran Meerut College, Meerut

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित **बी0एड0** पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को **प्राचार्य एवं प्रवक्ता** पद पर शासन / यू0जी0सी0 / एन0सी0टी0ई0 / बी0सी0आई0 / एम0सी0आई0 / एन0सी0आई0 / सी0सी0आई0एम0 / ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार तीन वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित **प्राचार्य एवं प्रवक्ता** की मृत्यु / त्यागपत्र / निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे, **प्राचार्य एवं प्रवक्ता** के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान / महाविद्यालय का होगा। चयनित अभ्यर्थी के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,

सहा0 कार्या0 अधी0 (सम्बद्धता)

CK pg.101

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/272
दिनांक : 20.4.2017

सेवा में,

सचिव,
वैष्णो इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी,
मेरठ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 10.04.2017 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आपने संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/4155 दिनांक 15.03.2014 द्वारा अनुमोदित **प्रवक्ताओं** की समयावधि बढायें जाने का अनुरोध किया गया था जिनका विवरण निम्नवत है :–

S.N. Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1- Rimzim Garg	Lecturer	M.A. (Edu.) B.Ed., M. Ed. M.Sc (Bot.) NET (Edu. 12)	Prof. Indire Dhul M.D. University, Rohtak Dr. Meenakshi Sharma Meerut College, Meerut
2- Dharmendra Kumar	Lecturer	M.A. (Math.) B.Ed.,M. Ed. NET (Edu. 12)	--------- do -------
3- Sunil Kumar	Lecturer	M.A. (Hist.) B. Ed. M. Ed NET (Edu. 07)	--------- do -------.

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को **प्रवक्ता** पद पर शासन/एन0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0/बी0सी0आई0 के मानकानुसार पॉच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित **प्रवक्ता** की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे, **प्रवक्ता** के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित अभ्यर्थी के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,

सहा0 कार्या0 अधी0 (सम्बद्धता)

CK pg.104